Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री होकमा रेगर

बनाम

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट........ शंकर लाल रेगर वगै0

...................................न. 67 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.03.2018	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरण भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 265 के **आराजी सख्यां 1726, 1726/2 कुल किता 02 कुल रकबा 03–16 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में वादी व विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है जिसका विभाजन कराये जाने बाबत इस प्रार्थनापत्र के साथ श्रीमान के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। बिना विभाजन कराये विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को बैचान करने पर आमादा है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षती होगी एंव वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी सहखातेदारी आराजीयात का बिना विभाजन कराये अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थी के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम रायसिंहपुरा पटवार हल्का बरण भू0अ0निरीक्षक बनेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 265 के **आराजी सख्यां 1726, 1726/2 कुल किता 02 कुल रकबा 03–16 बीघा** में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पैशी दिनांक तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये सम्मन/नोटीस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 03.05.2018 को पैश हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	